154

प्रशासन शहरों के संग

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.5(8)नविवि/3/99 जयपुर, दिनांक: 22.01.2010

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर

सचिव,
समस्त नगर सुधार न्यास

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं
समस्त.....................

विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान 26 जनवरी, 2010 से 07 मार्च, 2010 के संबंध में

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में दिनांक 26 जनवरी, 2010 से 07 मार्च, 2010 तक "प्रशासन शहरों के संग " अभियान के अन्तर्गत शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 21.01.2010 व 22.01.2010 को आयोजित बैठक में अभियान के संबंध में जारी की गई दिशा-निर्देशिका पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। उक्त अभियान की प्रारंभिक तैयारियां आपके स्तर पर संपादित की जा चुकी होगी। इस संबंध में कुछ विषयों पर अलग से भी दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे है।

उक्त बैठक के संबंध में जारी किए गए बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक भूमि/एफ.7(ड) (अभियान 2010)/डीएलबी/09/3405 दिनांक 22.01.2010 के बिन्दु संख्या-1 व 4 के संबंध में प्रशासन शहरों के संग अभियान 26 जनवरी, 2010 से 07 मार्च, 2010 तक निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है :-

1. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(8)नविवि/3/99 दिनांक 26.05.2000 के बिन्दु संख्या-14 के अन्तर्गत गठित ले-आउट प्लान समिति को निम्न शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है :-

   (i) उक्त समिति द्वारा दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई योजनाओं/कॉलोनियों के संबंध में मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगी। उक्त योजनाओं/कॉलोनियों जिनका नियमन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-बी की उप धारा (1) के अन्तर्गत कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ किया जाना है के संबंध में क्षेत्रफल की सीमा की कोई बाध्यता नहीं रहेगी।

   मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग परिवर्तन हेतु समिति द्वारा विज्ञप्ति जारी नहीं की जाकर तीन दिवस का नोटिस मुख्य-मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित/चस्पा किया जाकर उपान्तरण कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी।

(ii) उक्त समिति दिनांक 17.06.99 के पश्चात् अस्तित्व में आई योजनाओं/कॉलोनियों के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–बी की उप–धारा (3) के अन्तर्गत कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन के संबंध में मास्टर प्लान में निर्धारित भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने के लिये 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल की सीमा तक निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगी।

मास्टर प्लान में निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन हेतु समिति द्वारा 2 स्थानीय समाचार पत्रों में 7 दिवस में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जायेगी।

2. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90बी के अन्तर्गत कृषि भूमियों के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु यदि खातेदार/निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित की गई योजनाओं/कॉलोनियों का ले–आउट प्लान विकास प्राधिकरणों/न्यासों/नगर निगम/परिषदों/पालिकाओं द्वारा अनुमोदन करवाया जाकर भूखण्डों का बेचान अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया है किन्तु उनके द्वारा उक्त योजना/कॉलोनी में विकास कार्य नहीं करवाये गये है एवं भूखण्डधारी शहरी निकायों से विकास कार्य कराना चाहते है तो ऐसी कॉलोनी/योजना के विरूद्ध व्यय की जाने वाली आन्तरिक एवं बाह्य विकास राशि के पेटे सामूहिक रूप से अथवा पृथक–पृथक भूखण्डधारियों द्वारा आनुपातिक रूप से सम्पूर्ण राशि जमा करवाई जाती है तो ऐसे प्रकरणों में उक्त राशि जमा करवाई जाकर स्थानीय निकायों द्वारा पट्टा विलेख जारी किये जा सकेंगे तथा ऐसी योजनाओं/कॉलोनियों में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर संपादित करवाये जावेंगे। उक्त कॉलोनियों/योजना के विकास कार्यों हेतु जमा कराई जाने वाली राशि अलग मद में जमा की जाकर उक्त योजना/कॉलोनी के विकास कार्यों पर ही व्यय की जावेगी।

भवदीय

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव